



# उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय

(राज्य सरकार का स्वायत्तशासी निकाय, विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त; भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) की सदस्यता प्राप्त)

हरावाला, देहरादून - 248001

दूरभाष : 0135-2685124, फ़ैक्स : 0135-2685137, ईमेल: info@uau.ac.in/

uttarakhandayurved@gmail.com

पत्रांक : /उ0आ0वि/03/10/2015

दिनांक : 30 सितम्बर, 2015

## कार्यालय ज्ञाप

विश्वविद्यालय परिसरों तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों के समस्त छात्र-छात्राओं सूचित किया जाता है कि परिसरों तथा सम्बद्ध चिकित्सालयों में शिक्षण, प्रशिक्षण में गुणवत्ता बढ़ाने व सुधारने के दृष्टिगत जो कमियां हैं, एवं उनके सुझाव यदि हो तो विद्यार्थी सीधे विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय की वैबसाईट में उपलब्ध ग्रीवांस हैड (Grievence Head) के माध्यम से विश्वविद्यालय को वे अपनी शिकायत अथवा सुझाव भेज सकते हैं एवं पाठ्यक्रम के सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक कक्षाओं के द्वारा पाठ्यक्रम पूर्ण अथवा अपूर्ण रहने की सूचना सीधे विश्वविद्यालय को प्रेषित की जा सकती है। विद्यार्थियों द्वारा भेजी गई सूचना को सुरक्षित रखा जाएगा साथ ही सूचना प्रदाता छात्र का नाम गोपनीय रखा जाएगा।

विश्वविद्यालय वैबसाईट में उपलब्ध ग्रीवांस हैड (Grievence Head) में निम्नानुसार सूचना अंकित की जाएगी:-

Enrollment no.....  
Centre Code .....  
Name of College .....  
Course .....  
Professional session.....  
Your Name.....  
Your E-mail address.....  
Your contact no.....  
Complain.....

(डॉ० मृत्युंजय कुमार)  
कुलसचिव

पत्रांक : 400 /उ0आ0वि/03/10/2015 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. परिसर निदेशक, ऋषिकुल/गुरुकुल परिसर (हरिद्वार), उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय एवं प्राचार्य/अधीक्षक, सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थानों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश को परिसरों के समस्त सूचना पटों पर भी चरप्पा करते हुए व्यक्तिगत रूप से भी विद्यार्थियों को सूचित करें।
2. स्टाफ आफिसर, मा० कुलपति।
3. एम०आई०एस० सैल प्रभारी को इस निर्देश के साथ की उक्त के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाली सूचना को सुरक्षित रखते हुए सूचना को तत्काल अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेगें एवं उक्त सूचना को वैबसाईट पर भी प्रदर्शित करेगें।
4. गार्ड फाइल।

30.09.15  
(डॉ० मृत्युंजय कुमार)  
कुलसचिव